

आदेश  
कार्यवाही विवरण  
सुभाष कुमार बनाम शारदा देवी आदि  
प्र0सं0 86 / 2021

06-06-22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण को नोट-प्रेस कर वाद को आगे नहीं चलाना जाहिर किया। अतः वादी अधिवक्ता के नोट-प्रेस की आधार पर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए.सी. ई. एम. (का. दे.)  
नवराज

3) जीजाजी  
लेनी देवी का  
वादी वादी  
नदी-यकाज  
पाद्री ही  
नोट-प्रेस  
S



अभिलेखित नम्बर : 86/2021  
अभिलेखित नम्बर : 86/2021  
अभिलेखित नम्बर : 86/2021  
अभिलेखित नम्बर : 86/2021